


FORM NO-IIIफर्द अहकाम
(नियम 26)#2019/00268¹¹⁰⁴

78/2019

अज अदालत- अपीलीय अधि० एवं जिला कलक्टर मुकाम अजमेर
चन्द्रप्रकाश सोलंकी बनाम लोक सूचना अधि० एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर
किस्म मुकदमा-सूचना का अधिकार अधि.-2005 प्रकरण संख्या 78 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>12/9/19</p>  <p>न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर से प्राप्त टिप्पणी का अपील मीमो के अवलोकन किया गया। वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के अन्तर्गत आने से उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती, का प्रत्युत्तर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्त/प्रार्थी को पत्र दिनांक 24.07.2019 से प्रेषित किया गया है। तत्पश्चात अपील के संदर्भ में वांछित टिप्पणी दिनांक 12.09.2019 की प्रति भी अपीलान्त को प्रेषित की गई है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्त द्वारा वांछित सूचना का, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विवेचन कर नियमानुसार देय सूचना/प्रत्युत्तर अपीलान्त/प्रार्थी को 10 दिवस की अवधि में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। अपील, अपीलान्त इसी कदर से निस्तारित की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p><i>(विश्व मोहन शर्मा)</i> जिला कलक्टर, अजमेर</p>	